उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का कार्यालय।

(राजस्व शाखा)

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

पावर ग्रीड कारपोरेशन ऑफ इन्डिया लिमिटेड, जमशेदपुर के पत्रांक– 232 (ए0), दिनांक– 14.11.2013 एवं पत्रांक– 242, दिनांक– 05.12.2014 के द्वारा 132 K.V D/C सिमडेगा–मनोहरपुर ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु उपयोग में आने वाले गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत् करने हेतु अनुरोध किया गया है। विभागीय पत्रांक– 1521/रा0, दिनांक– 08.06.2010 के कंडिका 02 में निहित प्रावधान के अनुसार एक परियोजना के अर्न्तगत् अधिकतम् 10.00 (दस) एकड़ भूमि तक का गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल–झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि) के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत् करने के लिए संबंधित उपायुक्त को प्राधिकृत किया गया है। सरकार के उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड, राँची के पत्रांक– 3547/रा0, दिनांक– 28.08.2014 के द्वारा भी जंगल–झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि भूमि का अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत् करते हुए कृत कार्रवाई से वन विभाग एवं राजस्व विभाग को अवगत कराने हेतु पत्र प्राप्त है। तद्नुसार अंचल अधिकारी, मनोहरपुर के पत्रांक– 539, दिनांक– 13.11.2014 के द्वारा गैरमजरूआ किस्म जंगल–झाड़ी भूमि सत्यापन से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निम्न शर्त्तो पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत् किया जाता है।

"गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल–झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि, जो 132 K.V D/C सिमडेगा–मनोहरपुर ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु उपयोग में आने वाले भूमि अंचल मनोहरपुर अर्न्तगत् निम्न मौजा, थाना, प्लॉटवार एवं रकवा में सन्निहित है :–

क0	अंचल का नाम	ग्राम का नाम	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा (एकड़ में)	किस्म
1.	मनोहरपुर	बेड़ाकेन्दुदा	147	424	2649	0.92	जंगल–झाड़ी
2.	मनोहरपुर	बेड़ातुलुन्डा	144	228	1293	0.91	जंगल–झाड़ी
3.	मनोहरपुर	बेड़ातुलुन्डा	144	228	1602	0.47	जंगल–झाड़ी
4.	मनोहरपुर	चारबन्दिया	140	02	100	0.93	जंगल–झाड़ी
5.	मनोहरपुर	चारबन्दिया	140	02	1017	0.02	जंगल–झाड़ी
6.	मनोहरपुर	कुड़ना	120	04	2521	0.30	जंगल–झाड़ी
7.	मनोहरपुर	खुदपोस	119	133	136	0.87	जंगल–झाड़ी
8.	मनोहरपुर	खुदपोस	119	133	1035	1.31	जंगल–झाड़ी
9.	मनोहरपुर	खुदपोस	119	133	806	0.95	जंगल–झाड़ी
10.	मनोहरपुर	रायकेड़ा	116	643	2060	0.25	जंगल–झाड़ी
11.	मनोहरपुर	रायकेड़ा	116	643	1541	2.14	जंगल–झाड़ी
12.	मनोहरपुर	रायकेड़ा	116	643	1409	0.08	जंगल–झाड़ी
				कुल रकवा–		9.15 एकड़	

उपरोक्त के अपयोजन हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को कोई आपत्ति नहीं है, बशर्त्ते माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् गैर मजरूआ

Deemed Forest (जंगल–झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि को विधिवत् हस्तानांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर मजरूआ भूमि की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैर मजरूआ भूमि की तरह ही इस भूमि के हस्तानांतरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत् करने की कार्रवाई की जायेगी"।

उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक 417(B)/रा०, दिनांक 15-12-14

प्रतिलिपि : पावर ग्रीड कारपोरेशन ऑफ इन्डिया लिमिटेड, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोल्हान/पोड़ाहाट वन प्रमंडल, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड, राँची को उनके पत्रांक– 3547/रा0, दिनांक– 28.08.2014 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।